P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

निःशस्त्रीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और भारत

किरण फतेहपुरिया
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान, अहिंसा एवं शांति विभाग,
जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय,
लाडनूं, राजस्थान, भारत

सारांश

वैज्ञानिक सोच ने तकनीकों को जन्म दिया। संसाधनों की उपलब्धता ने नित–नई तकनीकों का विकास किया तथा तकनीकी विकास ने हथियारों का निर्माण किया। मुख्य रूप से सुरक्षात्मक उद्देश्यों हेतु बनाए गए हथियारों ने कालांतर में हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया। हथियारों की इस होड़ ने परमाणु बम जैसे विनाशक हथियारों को ईजाद किया। इन विनाशक हथियारों ने विश्व युद्धों को जन्म दिया तथा मानवता के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह आरोपित कर दिया।

अतः मानवता के बचाव हेतु अस्त्र–शस्त्रों में कमी किए जाने व अंततः इन्हें नष्ट किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई और परिणामस्वरूप निःशस्त्रीकरण की अवधारणा का विकास हुआ। परमाणु हथियारों के आतंक से त्रस्त समस्त विश्व, निःशस्त्रीकरण हेतु आगे आया। निःशस्त्रीकरण हेतु क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय– सभी स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए। भारत ने भी निःशस्त्रीकरण के वैश्विक प्रयासों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई तथा निःशस्त्रीकरण हेतु होने वाली संधियों व सम्मेलनों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत को हथियार मुक्त बनाने हेतु प्रयास किए।

यदि दुनिया को विनाश के गर्त में जाने से बचाना है तथा मानवता को जीवित रखना है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निःशस्त्रीकरण अपनाना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है।

मुख्य शब्द : निःशस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, विदेश नीति, तकनीकी आविष्कार, मनोवैज्ञानिक तनाव, शांति संधिया एवं समझौते, परमाणु होड़, हथियार, संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्विक प्रयास, भारत।

प्रस्तावना

शस्त्रीकरण की होड़ ने आज समस्त विश्व को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। मात्र एक परमाणु बम समस्त दुनिया को छिन्न–भिन्न कर सकता है। ऐसे में निःशस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण ही मात्र ऐसे उपाय है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को पुनः बहाल कर विश्व को तनावों से छुटकारा दिलाने में कारगर साबित हो सकते है। निःशस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण दोनों ही धारणाएं अस्त्र– शस्त्रों में की जाने वाली कटौती से संबंध रखती है। प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने इन दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''निःशस्त्रीकरण शस्त्र अस्त्रों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जबकि अस्त्र नियंत्रण, अस्त्र–शस्त्रों की दौड़ (हौड.) को रोकने का प्रयास है।''[1]

प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में हुए महाविनाश ने निःशस्त्रीकरण की सार्थकता को सिद्ध कर दिया। यदि इन युद्धों के समय अस्त्र–शस्त्रों का जखीरा उपलब्ध नहीं होता, तो शायद ये युद्ध अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही समाप्त हो जाते। आज इस बात पर सभी एक राय है, कि निःशस्त्रीकरण के माध्यम से ही मानवता का बचाव संभव है।

वर्तमान में निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता को इसलिए महसूस किया जा रहा है, ताकि हथियारों के बने रहने से उत्पन्न खतरों से कुछ सीमा तक छुटकारा प्राप्त किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक भारत ने सदैव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को मान्यता दी है। राष्ट्रों के बीच शांति व सहअस्तित्व की रक्षा हेतु की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही का आगे बढ़कर समर्थन करने वाले भारत ने यथासंभव निःशस्त्रीकरण हेतु सहयोग भी किया।

चूंकि आज विश्व के सभी राष्ट्र परस्पर एक–दूसरे पर निर्भर है। किसी भी राष्ट्र में घटित होने वाली कोई भी घटना समस्त विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करती है। ऐसे में निःशस्त्रीकरण की होड तथा नित–नये शस्त्रों का आविष्कार, सभी राष्ट्रों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रमुख रूप से छोटे तथा

अर्द्धविकसित राष्ट्र, जो परमाणु शक्ति विहीन है, उनके अस्तित्व पर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है।

शस्त्रीकरण की होड़ किसी भी राष्ट्र को फायदा पहुंचाने वाली क्रिया कभी भी साबित नहीं हो सकती। पूर्व में हुए विश्वयुद्धों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि यह सदैव विनाश को ही न्योता देती है।

अतः शस्त्रीकरण की होङ से विश्व को निजात दिलाने, राष्ट्रों को मनोवैज्ञानिक तनाव से मुक्त करने तथा विश्व में शांतिपूर्ण संबंधों को कायम करने हेतु निःशस्त्रीकरण की धारणा का उदय हुआ। निःशस्त्रीकरण से तात्पर्य–उपलब्ध अस्त्र–शस्त्रों में कटौती करना तथा अंततः उन्हें समूल नष्ट कर देना है, ताकि वैश्विक जगत को युद्ध के आतंक से निर्भयता प्रदान की जा सके तथा साथ ही नए शस्त्रों के विकास पर रोक लगाना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मार्गेन्थाऊ के अनुसार ''निःशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत हो।''[2] इस प्रकार, निःशस्त्रीकरण शारीरिक हिंसा के सभी साधनों को पूर्णतया समाप्त कर देने वाली अवधारणा है।

निःशस्त्रीकरण के समर्थक भारत ने सदैव शस्त्रों की होड़ को राष्ट्रों के लिए घातक माना तथा स्वयं शस्त्रों में कटौती कर अन्य राष्ट्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। निःशस्त्रीकरण हेतु विभिन्न मंचों पर सक्रिय सहयोग किया। इस प्रकार, निःशस्त्रीकरण का समर्थन भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। शस्त्रीकरण को खतरनाक अवधारणा मानते हुए समस्त विश्व ने आज अपने अस्तित्व की उत्तरजीविता हेतु निःशस्त्रीकरण की धारणा को अपनाया है। शस्त्रीकरण के खतरों ने स्वयं राष्ट्रों को निःशस्त्रीकरण हेतु आगे आने पर मजबूर किया है।

निःशस्त्रीकरण आज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर अपनाया जा रहा है। इसके कई प्रकार हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने हित एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितिनुसार इनमें से किसी भी प्रकार का निःशस्त्रीकरण अपना सकता है। निःशस्त्रीकरण के निम्न रूप प्रचलित है–

1. सामान्य निःशस्त्रीकरण– इसमें निःशस्त्रीकरण हेतु संबंधित सभी राष्ट्रों की भागीदारी होती है।
2. स्थानीय निःशस्त्रीकरण–इसमें निःशस्त्रीकरण हेतु राष्ट्रों की एक सीमित संख्या की भागीदारी होती है।
3. मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण–इसमें राष्ट्रों द्वारा अधिकांश शस्त्रों में अधिकतम कटौती की जाती है।
4. गुणात्मक निःशस्त्रीकरण–इसमें कुछ विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती की जाती है।
5. अनिवार्य निःशस्त्रीकरण–यह युद्ध के बाद विजेता राष्ट्रों पर लागू किया जाता है।
6. ऐच्छिक निःशस्त्रीकरण–यह निःशस्त्रीकरण राष्ट्रों द्वारा अपनी इच्छा से स्वीकृत किया जाता है।
7. पूर्ण निःशस्त्रीकरण–एक ऐसी आदर्श विश्व व्यवस्था प्राप्ति की स्थिति, जिसमें सभी प्रकार के हथियार, अस्त्र–शस्त्र, सेनाएं, सैनिक कारखाने आदि पूर्ण रूप से नष्ट कर दिए जाए।

पूर्ण निःशस्त्रीकरण, विश्व में विद्यमान अशांतिपूर्ण वातावरण को खत्म करने, छोटे राष्ट्रों को जीवित रखने तथा लोक कल्याणकारी विश्व व्यवस्था को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।

निःशस्त्रीकरण हेतु आज तक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। शांतिवादी भारत ने सदैव इन प्रयासों का समर्थन किया लेकिन जब कभी भारत के राष्ट्रीय हितों पर आंच आई, भारत ने दो टूक जवाब दिया तथा विश्व जनमत के गलत व पक्षपातपूर्ण मांग के समक्ष कभी नहीं झुका।

आज तक सभी राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिये जाने वाले निर्णय तथा विदेश नीति का संचालन राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही किया जाता रहा है। प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय हित अलग–अलग होते हैं, फलतः इनमें आपसी टकराव पाया जाता है। टकराव, राष्ट्रों में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। असुरक्षा, राष्ट्रों को शस्त्र रखने हेतु मजबूर करती है और सभी राष्ट्र शस्त्रीकरण की ओर बढ़ते हैं, ताकि जब कभी आकस्मिक रूप से कोई राष्ट्र आक्रमण कर दे तो बचाव का विकल्प आसानी से उपलब्ध हो सके।

इसके अतिरिक्त, विकसित राष्ट्रों की संपन्नता भी शस्त्रीकरण का कारण मानी जाती है। संपन्न विकसित राष्ट्र समस्त विश्व पर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं और अर्थव्यवस्था की मजबूती इन्हें तकनीकी आविष्कारों की ओर अग्रसर करती है। ये राष्ट्र नित–नए अस्त्र–शस्त्रों का आविष्कार कर दुनिया में अपनी सैन्य शक्ति का परचम फहराते हैं। उधर, तनावग्रस्त अर्द्ध विकसित राष्ट्र भी अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करने तथा विकसित राष्ट्रों से स्वयं को महफूज रखने हेतु अपनी राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग अस्त्र–शस्त्रों के निर्माण पर खर्च कर देते हैं तथा राष्ट्र की जनता को बदतर जीवन जीने हेतु विवश कर देते हैं। शस्त्रीकरण के परिणामस्वरुप विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था कमजोर होकर बर्बादी के शिखर पर पहुंच जाती है।

शस्त्रीकरण मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ाता है, क्योंकि आज तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप ऐसे–ऐसे अस्त्र–शस्त्रों का विकास हो चुका है कि मात्र एक परमाणु बम पूरी दुनिया को नष्ट कर सकने की क्षमता रखता है। इसने सभी राष्ट्रों को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर रखा है कि परमाणु आक्रमण की धमकी मात्र पूरी दुनिया को हिलाने के लिए पर्याप्त है।

निःशस्त्रीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। हालांकि ये प्रयास द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही शुरू कर दिए गये थे, यथा–

1. जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा हंगरी की सैन्य शक्तियों को सीमित रखने हेतु पेरिस शांति समझौता किया गया।
2. निःशस्त्रीकरण हेतु परामर्श देने के लिए एक आयोग बनाया गया।
3. नौसेना के विस्तार पर नियंत्रण पाने हेतु वाशिंगटन सम्मेलन बुलाया गया, जो कि अपने उद्देश्यों में सफल भी रहा।

4. रणपोतों के निर्माण को घटाने के उद्देश्य से 1930 में लंदन में नौसैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ने हस्ताक्षर किए।
5. 1935 में लंदन में द्वितीय लंदन नौसैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया।

किन्तु इन सभी सम्मेलनों में किए गए संधि व समझौतों के तमाम प्रयासों को अधिक गम्भीरता से नहीं लिया गया। राष्ट्रों ने मनमानी करते हुए अस्त्र–शस्त्रों की प्रतियोगिता में भागीदारी निभाई तथा नित–नये हथियारों का आविष्कार कर स्वयं को विश्व के समक्ष शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। इन अस्त्र–शस्त्रों की होड़ ने ही द्वितीय विश्वयुद्ध को जन्म दिया।

किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के विनाश ने सुषुप्त राष्ट्रों को जगा दिया, उनके बन्द नेत्र खोल दिये तथा परमाणु शस्त्रों की विभिषिका से विश्व को अवगत करा दिया। फलतः समस्त विश्व ने शस्त्रीकरण की भयावहता के परिणामों को देखते हुए निःशस्त्रीकरण के प्रयास तेज कर दिये तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शान्तिपूर्ण विश्व की कल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया। 1947 में जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, इसने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया तथा निःशस्त्रीकरण व शस्त्र नियंत्रण को विदेश नीति में प्रमुख स्थान दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण हेतु किए गये प्रयास–द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अस्तित्व में आई विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की दूसरी धारा में ज्वलंत विषय निःशस्त्रीकरण की चर्चा की गई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशाल अंग महासभा द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रमुख अंगों– महासभा व सुरक्षा परिषद पर भी यह जिम्मेदारी डाली गई कि वह निःशस्त्रीकरण हेतु प्रयास तेज करें तथा इस हेतु राष्ट्रों को आगे लाएं।

फरवरी 1947 में सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने मिलकर पारस्परिक हथियार आयोग की स्थापना की। इस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अणुबमों का आविष्कार कर लिया था तथा जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहरों पर दो बम गिराकर जापान को आत्मसमर्पण हेतु मजबूर किया तथा विश्व को अपनी परमाणु शक्ति का परिचय दिया।

शीघ्र ही अन्य विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों ने भी यथासंभव परमाणु अस्त्रों का विकास करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार एक तरफ परमाणु अस्त्रों होड़ की चालू थी, तो दूसरी तरफ निःशस्त्रीकरण के प्रयास। उधर, 1952 में महासभा ने परमाणु ऊर्जा आयोग व पारस्परिक हथियार आयोग के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की, जिसका कार्य– हथियारों से सेनाओं का नियमन करना तथा राष्ट्रों द्वारा सेनाओं और हथियारों के संबंध में दी गई सूचनाओं पर विचार करना निर्धारित किया गया। 1955 में जेनेवा में होने वाले शिखर सम्मेलन में सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने भाग लिया। इस सम्मेलन के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने मुक्त आकाश योजना प्रस्तुत की जिसके तहत भागीदार चारों राष्ट्रों को एक– दूसरे के आकाश पर निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग को विस्तृत करने पर विचार किया गया। निःशस्त्रीकरण हेतु सोवियत प्रधानमंत्री द्वारा 'बुल्गानिन योजना' तथा पोलैंड के विदेश मंत्री द्वारा 'रापाकी योजना' प्रस्तुत की गई। 1961 में निःशस्त्रीकरण आयोग की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई तथा 10 सदस्यीय निःशस्त्रीकरण आयोग को 18 सदस्यीय आयोग बना दिया गया।

1960 के दशक के मध्य में परमाणु होड़ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उस समय तक सोवियत संघ के पास लगभग 30,000 परमाणु अस्त्र थे जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के भंडार में ऐसे 24000 अस्त्र थे[3] फलतः परमाणु अस्त्रों के परिसीमन के उद्देश्य से जुलाई 1963 में ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों ने मिलकर मास्को में 'आण्विक परीक्षण प्रतिबंध संधि' पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत् भूगर्भ परीक्षणों के अतिरिक्त बाहरी आकाश, समुद्र और वायुमंडल में किए जाने वाले अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत ने भी आगे आकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न थे–

1. पहली धारा में तीनों राष्ट्रों द्वारा यह संकल्प लिया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण में विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायुमंडल में, इसकी सीमाओं में, बाह्य अंतरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा महा समुद्रों में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे।
2. दूसरी धारा में संशोधन की व्यवस्था है। संधि में संशोधन का प्रस्ताव किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में से एक–तिहाई राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में हों तो संशोधन पर विचार हो सकता है।
3. तीसरी धारा के अनुसार इस संधि पर कोई भी देश हस्ताक्षर कर सकता है। यह व्यवस्था है कि हस्ताक्षरकर्ता देश इस संधि पर अपनी संसद या राष्ट्रीय परिषद का समर्थन प्राप्त करेगा और ऐसे समर्थन को रूस, अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन के पास जमा कराना पड़ेगा।
4. चौथी धारा में लिखा गया है कि यह संधि असीमित काल के लिए है। यद्यपि हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए उस समय स्वयं को इस संधि के बंधनों से मुक्त कर ले; जब वह यह अनुभव करे कि इसमें इसके देश का सर्वोच्च हित संकट में पड़ गया है, तथापि हटने वाले राष्ट्र को तीन माह पूर्व नोटिस देना होगा।
5. पांचवीं धारा के अनुसार इस संधि के अंग्रेजी व रूसी भाषा के दोनों रूप समान रूप से प्रमाणिक समझे जाएंगे।[4]

इस संधि का सभी राष्ट्रों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसे शांति व निःशस्त्रीकरण हेतु विश्वसनीय कदम माना गया और आशा की गई कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया अध्याय खुलेगा। इस प्रकार, एक सहयोगी भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की कामना की गई। किंतु, इस संधि की भी अपनी कुछ कमियां थी– एक तो, यह भूमिगत विस्फोटों पर कोई

प्रतिबंध नहीं लगाती। दूसरा, परमाणु हथियारों के उत्पादन को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं करती। तीसरा, परमाणु संपन्न राष्ट्रों द्वारा अपने मित्र राष्ट्रों को की जाने वाली हथियारों की सप्लाई रोकने का कोई प्रबंध नहीं करती। फिर भी इसे निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य की स्वर्णिम सीढ़ी माना जा सकता है।

इसके पश्चात् सन् 1968 में अणु अप्रसार संधि की गई, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न थे–

1. परमाणु राज्य परमाणु अस्त्रविहिन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे।
2. परमाणु राज्य परमाणु अस्त्रविहिन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं देंगे।
3. परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे।
4. परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोटों पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।
5. ऐसे देश जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीकी क्षमता है वे परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए करेंगे।[5]

इस प्रकार इस संधि के माध्यम से निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया गया, किंतु यह प्रयास अपने उद्देश्यों में सफल ना हो सका क्योंकि इस संधि में कुछ कमियां थी, यथा–

पहला

इस संधि में भूमिगत न्यूक्लीय परीक्षणों को प्रतिबंधित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया।

दूसरा

यह संधि परमाणु संपन्न राज्यों द्वारा किए जाने वाले नए न्यूक्लिय अस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबंध की कोई व्यवस्था नहीं करती।

तीसरा

परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र यदि किसी परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र पर हमला करे तो यह संधि बचाव की कोई व्यवस्था नहीं करती।

चौथा

जो राष्ट्र परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए करेंगे वे राष्ट्र परमाणु शक्ति का सैनिक कार्यों में दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी गारंटी भी यह संधि नहीं देती।

यह संधि भेदभाव का चरम रूप प्रस्तुत करती है। इस संधि को परमाणु संपन्न राष्ट्रों के पास परमाणु शक्ति बने रहने पर कोई परेशानी नहीं, यह केवल परमाणु विहीन राष्ट्रों को परमाणु शक्ति से दूर रखने की साजिश थी। यह संधि परमाणु संपन्न व परमाणु विहीन राष्ट्रों के बीच बनी दीवार को कायम रखने के उद्देश्य से लाई गई। यह परमाणु शक्ति पर महाशक्तियों का एकाधिकार बनाए रखने की पोषक थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि ''वर्तमान समझौते परमाणु अस्त्र विहिन राज्यों को शांतिपूर्ण कार्यों तक के लिए भी परमाणु परीक्षण करने से रोकते हैं, जबकि वे परमाणु अस्त्र संपन्न देशों को अपनी घातक क्षमता बढ़ाने से किसी प्रकार नहीं रोकते।''[6] अतः अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में स्वतंत्र दृष्टिकोण के परिचायक राष्ट्र भारत ने परमाणु शक्ति का विकास कर सकने में सक्षम सभी राष्ट्रों को साथ लेकर इस भेदभावपूर्ण संधि का विरोध किया।

लेकिन निःशस्त्रीकरण हेतु प्रयास जारी रहे। 1971 में न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि की गई जिसके तहत भागीदार राष्ट्रों द्वारा निर्धारित किया गया कि प्रत्येक भागीदार राष्ट्र अपने प्रादेशिक समुद्र का 19 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़कर समुद्रतल पर विनाशक परमाणु अस्त्र नहीं बिछाएंगे तथा समुद्रतल को न्यूक्लीयर अस्त्रों से मुक्त रखेंगे। इसी प्रयास में एक कदम आगे बढ़ाते हुए यू.एन. ओ. ने 1970–80 के दशक को निःशस्त्रीकरण दशक घोषित किया।

निःशस्त्रीकरण हेतु सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य साल्ट–1 व साल्ट–2 वार्ताएं आयोजित की गई। मध्यम व कम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने के लिए दोनों महाशक्तियों के मध्य 1987 में 'मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि' हुई। 1990 में परंपरागत शस्त्रों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने हेतु वारसा व नाटो संगठनों के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

इसके अतिरिक्त सामरिक हथियारों में स्वैच्छिक रूप से कटौती करने के लिए अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य स्टार्ट–1 संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत दोनों महाशक्तियों ने परमाणु शस्त्रों में 30 प्रतिशत कटौती करने को स्वीकृति दी। इसके पश्चात सितंबर 1991 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने वैश्विक पटल पर आदर्श नमूना प्रस्तुत करते हुए सामरिक परमाणु अस्त्रों में एकतरफा रूप से भारी कटौती की घोषणा की, जिसका चहूंओर स्वागत किया गया। सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाच्योव ने बुश की इस घोषणा की काफी प्रशंसा की तथा प्रत्युत्तर में राष्ट्रपति मिखाईल गोर्बाच्योव ने भी परमाणु अस्त्रों में भारी कटौती की घोषणा की। दोनों महाशक्तियों के बीच निःशस्त्रीकरण की भावना आगे बढ़ी तथा 1993 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश व सोवियत राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन के बीच स्टार्ट–2 संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि स्टार्ट–1 संधि का ही अगला चरण था। यह संधि बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि इसका उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के हथियारों में दो–तिहाई कटौती करना था।

रासायनिक हथियारों के अनुसंधान, विकास, निर्माण व प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से जनवरी 1993 में अनेक राष्ट्रों द्वारा मिलकर रासायनिक हथियार निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए गये। हालांकि अमेरिका और रूस इस संधि में शामिल नहीं हुए फिर भी यह संधि काफी महत्वपूर्ण रही।

इसके पश्चात आई 'व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि' अर्थात् सी.टी.बी.टी., जिसका उद्देश्य समस्त विश्व में हो रहे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना था। लेकिन यह संधि विवादास्पद साबित हुई क्योंकि इस संधि में परमाणु निःशस्त्रीकरण हेतु कोई समयबद्ध प्रावधान नहीं था तथा यह संधि केवल नए परीक्षणों को रोकने की बात करती है जबकि परमाणु संपन्न राष्ट्रों के पास पहले से उपलब्ध तकनीकों से इसे कोई एतराज नहीं। इस संधि में प्रावधान है कि परमाणु शक्ति संपन्न सभी राष्ट्रों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने पर ही यह संधि प्रभावी होगी।

धीरे–धीरे अनेक राष्ट्रों ने इस संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए किंतु इसके भेदभावपूर्ण स्वरूप को देखते हुए भारत, उत्तरी कोरिया व पाकिस्तान ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। संधि को और उसे लागू करने वाली धाराओं को अस्वीकार करते हुए भारत ने कहा कि, ''वर्तमान व्यापक परीक्षण निषेध संधि परमाणु अस्त्र संपन्न राज्यों की प्रौद्योगिकी पसंद के अनुसार तैयार की गई है, न कि परमाणु निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता के अनुसार।''[7]

इसके पश्चात मई 2002 में अमेरिका और रूस ने परमाणु शस्त्रों में कटौती करने के उद्देश्य से संधि की जिसके तहत् दोनों राष्ट्रों ने मिलकर लगभग 4500 परमाणु हथियारों में कटौती कर ली।

स्टार्ट–1 संधि की समय सीमा समाप्त हो जाने पर अमेरिका और रूस के बीच अप्रैल 2010 में नई स्टार्ट संधि की गई जिसके तहत् दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियारों में एक–तिहाई कटौती करने की प्रतिबद्धता जाहिर की।

अप्रैल 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगुवाई में दो दिवसीय नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में बातचीत हेतु प्रमुख मुद्दे निम्न थे–

पहला, परमाणु सामग्री का गुप्त प्रसार व अवैध तस्करी के खतरे,

दूसरा, आतंकवादियों द्वारा परमाणु सामग्री खरीदे जाने की संभावनाएं,

इन विषयों पर चर्चा की गई तथा इसे रोकने हेतु वैश्विक सहयोग का आह्वान भी सम्मेलन के मंच से किया गया।

वैश्विक स्तर पर होने वाले हथियारों के व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार संधि लागू की जिसके तहत् हथियारों के गलत प्रयोग की आशंका पर कोई देश अन्य देशों को पारंपरिक हथियारों का निर्यात करने से रोक सकता है।

1 अप्रैल, 2016 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वाशिंगटन में चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में 50 प्रमुख देशों के नेताओं ने भागीदारी निभाई। सम्मेलन आयोजित करने के पीछे ओबामा का उद्देश्य था– सेना के उपयोग में लाई जाने वाली परमाणु सामग्री में कटौती करने हेतु राष्ट्रों की अधिक से अधिक सहमति प्राप्त करना।

इस प्रकार निःशस्त्रीकरण हेतु अनेक प्रयास किए गए तथा इस हेतु आज भी बड़े स्तर पर प्रयास जारी है। हालांकि निःशस्त्रीकरण के मार्ग में भी अनेक बाधाएं हैं, जो इस कार्य को कठिन बनाती है। जैसे–

1. प्राथमिकता का निर्णय लेना कि पहले निःशस्त्रीकरण किया जाए या राज्यों के बीच अनसुलझे विवाद सुलझाए जाये,
2. आज प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को बरकरार रख दूसरों की शक्ति क्षीण करने पर आमादा है। राष्ट्रों द्वारा अभी तक प्रस्तुत निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव प्रायः एकपक्षीय रहे हैं, जबकि आवश्यकता आनुपातिक निःशस्त्रीकरण की है, जिसे सामान्यतः कोई राष्ट्र स्वीकार करना नहीं चाहता।
3. राष्ट्रीय हित निःशस्त्रीकरण के मार्ग में रोड़ा अटकाते हैं। आज तक किसी भी राष्ट्र ने राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर कभी भी निःशस्त्रीकरण का पक्ष नहीं लिया।
4. राष्ट्रों की उग्र सम्प्रभुता की विचारधारा भी निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधक बनती है। निःशस्त्रीकरण के क्रियान्वयन की जांच हेतु बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी सफल नहीं हो पाती क्योंकि इस प्रकार की जांच को राष्ट्र अपनी संप्रभुता व स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हैं।
5. महाशक्तियों के बीच पाया जाने वाला मतभेद, अविश्वास तथा प्रतिस्पर्धा की भावना, शस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है।
6. शस्त्र उद्योग चलाने वाले पूंजीपति राष्ट्र आर्थिक नुकसान के भय से निःशस्त्रीकरण का विरोध करते हैं तथा शस्त्रों को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है, कि सभी राष्ट्र निःशस्त्रीकरण को मन से अपनाएं। हकीकत यह है, कि अनेक राष्ट्र निःशस्त्रीकरण के नाम पर ऊपर से शस्त्र कटौती का दिखावा करते हैं, किंतु भीतर से शस्त्रों के निर्माण व विकास को बढ़ावा देते हैं। निःशस्त्रीकरण के नाम पर किए जाने वाले इस दिखावे को बंद करना होगा। यदि विश्व में शांति को पुनः बहाल करना है, लोगों को तनावमुक्त जीवन प्रदान करना है, देश की आर्थिक खुशहाली लौटानी है, विश्व बंधुत्व के आदर्श को साकार करना है तथा शस्त्रों पर होने वाली आर्थिक बर्बादी को रोकना है, तो सभी राष्ट्रों द्वारा निःशस्त्रीकरण के आदर्श लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासों में तेजी लानी होगी।

निःशस्त्रीकरण के माध्यम से ही आज विश्व को विनाशक युद्धों के आतंक से मुक्ति दिलाई जा सकती है, क्योंकि जब तक हथियार रहेंगे तब तक युद्ध की संभावनाएं भी लगातार बनी रहेगी। जिस प्रकार, एक छोटी–सी चिंगारी कब आग का रूप धारण कर लेती है, पता नहीं चलता। उसी प्रकार, परमाणु संपन्न राष्ट्रों की छोटी–सी सनक, कब तृतीय विश्वयुद्ध में बदल जाए कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इससे बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय निःशस्त्रीकरण ही है। निःशस्त्रीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय जगत को तनाव से मुक्ति देता है, जनकल्याण में वृद्धि करता है, नैतिकता के प्रतिमानों की रक्षा करता है।

जहां शस्त्रीकरण के अंतर्गत बड़े राष्ट्र टेक्नोलॉजी का रौब दिखाकर छोटे राष्ट्रों पर राजनीतिक दबाव डालते हैं तथा छोटे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने का कार्य करते हैं, वहीं निःशस्त्रीकरण इन छोटे तथा कमजोर राष्ट्रों को स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तीसरी दुनिया के राष्ट्र अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों पर खर्च करने को मजबूर है, किंतु निःशस्त्रीकरण स्वतंत्र राष्ट्रों को हथियारों के भय से मुक्ति दिलाने वाला साधन है, जो आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस आतंक ने पूरी सृष्टि के मानव जीवन पर अनिश्चितता का प्रश्न चिन्ह लगा रखा है,

एकमात्र निःशस्त्रीकरण ही अस्त्र–शस्त्रों के उस आतंक से दुनिया को मुक्ति दिलाने में कारगर साबित हो सकता है।

शस्त्रीकरण की भयावहता शब्दों में प्रकट किए जाने योग्य नहीं है। इसे रोकने का एकमात्र विश्वसनीय उपाय निःशस्त्रीकरण ही है। शस्त्रीकरण जहां मृत्यु का संदेश है, वही निःशस्त्रीकरण जीवन प्रदायक औषधि है।

भारत सदैव निःशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है। इस हेतु इसने अनेक प्रयास किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई प्रत्येक कार्यवाही का समर्थन किया। निःशस्त्रीकरण हेतु जब–जब प्रयास किए गए, तब–तब भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। हालांकि यह बात सत्य है कि भारत सच को सच और झूठ को झूठ कहने से कभी नहीं कतराया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है–भारत द्वारा भेदभावपूर्ण अणु अप्रसार संधि व व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने से किया गया स्पष्ट इनकार। ये दोनों ही संधियां चूंकी परमाणु संपन्न राष्ट्रों की परमाणु विहिन राष्ट्रों को कमजोर बनाए रखने की चालें थी, अतः भारत ने इन पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दिया तथा विश्व जनमत के दबाव के आगे कभी घुटने नहीं टेके और अपनी प्रभुसत्ता को जीवित रखा। निःशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक होते हुए भी भारत ने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 1974 व 1998 में परमाणु परीक्षण किए तथा भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाकर राष्ट्र के नागरिकों को परमाणु भय से सुरक्षा प्रदान की। हालांकि परीक्षणों के पीछे भारत का उद्देश्य मात्र सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा है, कोई आतंक फैलाना नहीं और यह बात भारत ने परीक्षण के वक्त ही साफ कर दी थी। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने घोषणा कर कहा कि, ''भारत एक परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य बन गया है तथा यह भी कि वह आगे कोई और परमाणु परीक्षण नहीं करेगा।''[8]

वाजपेयी का कथन प्रमाणित करता है कि भारत ने परीक्षण सिर्फ सुरक्षात्मक कारणों से किए हैं। भारत कभी भी आक्रमण की पहल नहीं करेगा, लेकिन जब कभी राष्ट्र की सुरक्षा को आंच आएगी, पीछे भी नहीं हटेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. निःशस्त्रीकरण हेतु किए गए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का अध्ययन करना।
2. निःशस्त्रीकरण में भारत के योगदान का आंकलन करना।
3. विश्व शांति में निःशस्त्रीकरण के योगदान का मूल्यांकन करना।
4. मानवता की सुरक्षा में सहायक निःशस्त्रीकरण की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन करना।

निष्कर्ष

इस प्रकार शांतिवादी सोच के पोषक भारत ने सदैव निःशस्त्रीकरण का पक्ष लिया है। यदि आज समस्त विश्व हथियारों का अस्तित्व नष्ट करने को तैयार हो जाता है, तो यथासंभव भारत ऐसा पहला राष्ट्र होगा जो अपने अस्त्र–शस्त्र नष्ट कर गर्व का अनुभव करेगा। आज परमाणु शस्त्रों के विकास ने मानवता को भयंकर विनाश के शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है। परमाणु शस्त्रों के प्रसार पर रोक, वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी निःशस्त्रीकरण के पक्ष में प्रतीत हो रही है। आज शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ विघटित हो गया तथा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद भी नष्ट हो गया, ऐसे में निःशस्त्रीकरण हेतु संभावनाएं सकारात्मक नजर आ रही है।

अंत टिप्पणी

1. *भारत की विदेश नीति– वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली–2004, पृ. 236*
2. *अंतर्राष्ट्रीय संबंध– डॉ. बी.एल.फडिया, डॉ. कुलदीप फडिया, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 350*
3. *स्वतंत्रता पश्चात की भारतीय विदेश नीति– डॉ. रामगोपाल जाट, वर्ल्ड बुक्स, जयपुर, 2010, पृ. 185*
4. *अंतर्राष्ट्रीय संबंध– डॉ. बी.एल. फडिया, डॉ. कुलदीप फडिया, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. 361*
5. *अंतर्राष्ट्रीय संबंध– डॉ. बी.एल. फडिया, डॉ. कुलदीप फडिया, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, 24 वां संस्करण, 2017, पृ. 362.*
6. *भारतीय विदेश नीति– मोहम्मद बी. आलम, नई दिल्ली– 1988, पृ. 48*
7. *भारत की विदेश नीति– के.के. पाठक, दिल्ली– 2001, पृ. 564*
8. *भारत की विदेश नीति– वी.एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली–2004, पृ.250*